R-1042

पत्रांक- 681 /क0नि0-6/20बी(4)/2015 06/10/16

प्रेषक,

सहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनु0-6 लखनऊः दिनांक: 15 सितम्बर, 2016

कार्यालय राजस्व परिषद, उ.प्र., लखनऊ 28 SEP 2016 प्राप्त हुआ

विषयः "समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना" के संचालनात्मक दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना" दिनांक 14 सितम्बर, 2016 प्रातः 10:00 बजे से लागू हो गयी है। यह बीमा योजना प्रारम्भ में एक वर्ष के लिये लागू की जायेगी। इस संबंध में विस्तृत संचालनात्मक दिशा-निर्देश मेरे पूर्वाधिकारी के शासनादेश सं0:1880-2005/संस्थागत वित्त/क0नि0-6/ क-24 /2015-16 दिनांक 20 जून, 2016 (प्रति संलग्न) एवं महानिदेशक, संस्थागत वित्त के पत्र सं0:2937-3060/क-24/2016-17 दिनांक 25 जुलाई, 2016 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं।

2-समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना लागू होने के पश्चात् दिनांक 14 सितम्बर, 2016 प्रातः 10:00 बजे से राजस्व विभाग द्वारा संचालित "उत्तर प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना" समाप्त हो गयी है।

3-परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक को "समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा केयर कार्ड" निःशुल्क दिया जायेगा हालांकि जब तक केयर कार्ड जारी नहीं हो जाता तो भी योजना का लाभ प्राप्त होगा बशर्ते उसके द्वारा योजना की पात्रता से संबंधित दस्तावेज यथा समय बीमा दावा प्रपत्र (संलग्न) के साथ संलग्न कर बीमा कम्पनी को प्रेषित किये जायें। दावा फार्म (प्रपत्र) www.1520up.in वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

4-"समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा केयर कार्ड" बनवाने हेतु मुखिया/रोटी अर्जक को जन सुविधा केन्द्रों/चयनित आउटलेट पर उपलब्ध आवेदन-पत्र भरना होगा, जो निःशुल्क होगा। बीमा केयर कार्ड, जन सुविधा केन्द्रों/चयनित आउटलेट से बायोमैट्रिक रिसीविंग देकर प्राप्त किया जा सकेगा। केयर कार्ड बनाने का उत्तरदायित्व (विवरण संलग्न है) शासकीय आई0टी0 कम्पनी यू0पी0 डेस्को को सौंपा गया है जिसके प्रतिनिधि शीघ्र ही आपसे सम्पर्क करेंगे। जनपदों में केयर कार्ड बनाने का कार्य, अभियान चलाकर विलम्बतम् दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करायें। केयर कार्ड बनवाने एवं उसका नियमित अनुश्रवण करने हेतु प्रत्येक विकासखण्ड/वार्ड(शहरी क्षेत्र में) पर कम से कम दो जनपदीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाय, जो प्रत्येक सप्ताह भ्रमण करेंगें। उनके भ्रमण हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र संलग्न है।

5-योजनान्तर्गत यह भी निर्णय लिया गया है कि केयर कार्ड बनने के पश्चात् परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक की बायोमेट्रिक रिसीविंग के आधार पर यू0पी0 डेस्को मासिक आधार पर बिल प्रस्तुत करेंगे, जिसका भुगतान जिलाधिकारी के माध्यम से किया जावेगा जिस हेतु आवश्यक धनराशि जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने विषयक आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

7787 06/10 उपायुक्त-16 05-10-16 श्री देवेश 06/10/16